सं0सं0–7/सदर–24–01/2012– 35(7)9

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
पटना ।

पटना, दिनांक : 30-7-2012

विषयः– मांग संख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0013–सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड– N2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹5,54,93,150/– (पॉच करोड़ चौवन लाख तिरान्वे हजार एक सौ पच्चास रू0) मात्र) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश संख्या–01(7)ब दिनांक–13.04.12 एवं 24(7)ब दिनांक–21.5.12 एवं मांग पत्र तथा CWJC No. 7658 of 2005 Counsel for the perotection of public Rights Vs the State of Bihar & others. में दिये गये निदेश के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी को वित्तीय वर्ष 2012–2013 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹5,54,93,150/– (पॉच करोड़ चौवन लाख तिरान्वे हजार एक सौ पच्चास रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या–20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0013–सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड– N2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. दवा भंडार, सामग्री एवं पूर्तियॉ, मशीन एवं उपकरण, वाहन का ईंधन एवं रखरखाव एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन एवं शेष इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. सिविल सर्जन, पटना को निदेश दिया जाता है कि वे अविलम्ब आवंटित राशि का उपावंटन गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी को एक मुश्त करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे । इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी । एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

7. वित्त विभागीय पत्रांक– 3833/वि0(2) दिनांक–02.04.2012 में निहित निदेश के आलोक में इस आवंटित राशि से वित्तीय वर्ष 2011–12 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान किया जा सकता है।

8. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

10. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक– 15.03.2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

11. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रकिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

12. वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय।

13. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

14. व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28–01) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के अधीक्षक होंगे ।

15. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

16. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

30/7/2012

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 35(7)9 पटना, दिनांक : 30-7-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी को उनके पत्रांक–763 दिनांक–20.07.12 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि सिविल सर्जन, पटना से सम्पर्क स्थापित कर न्यायादेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

30/7/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरण

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में उपशीर्ष सदर एवं अनुमंडल अस्पताल विपत्र कोड एन2210011100013 अन्तर्गत वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन (विभागीय अधिसूचना सं0–336(1) दिनांक–22.06.12 द्वारा गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी को एम्स से सम्बद्ध किये जाने के फलस्वरूप)

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	वर्तमान आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	वेतन (01–01)	19000000	अधीक्षक, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी के पत्रांक–763 दिनांक–20.07.12
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	12350000	
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	3800000	
4	परिवहन भत्ता (01–05)	210000	
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	950000	
6	अन्य भत्ता (01–07)	950000	
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**37260000**	
7	कार्यालय व्यय (13–01)	186000	
8	दूरभाष (13–03)	7120	
9	विद्युत प्रभार (13–04)	7340120	
10	वर्दी / पोषाक (13–06)	43910	
11	किराया महसूल एवं कर (14–01)	656000	
12	सामग्री एवं पूर्तियॉ (21–01)	500000	
13	दवा भंडार (21–02)	5000000	
14	आहार / पथ्य (21–03)	700000	
15	व्यवसायीक एवं विशेष सेवाएँ (28–01)	1300000	
16	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	2500000	
	कुल योगः–	**55493150**	

(पॉच करोड़ चौवन लाख तिरान्वे हजार एक सौ पच्चास रू0) मात्र

30/7/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

35(7)9
30-7-12

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (01–01)	540527000	431818000	19000000	450818000	89709000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	362153000	289318060	12350000	301668060	60484940
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	80541000	60454520	3800000	64254520	16286480
4	परिवहन भत्ता (01–05)	258000	200000	210000	410000	-152000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	5455000	4318180	950000	5268180	186820
6	अन्य भत्ता (01–07)	3783000	2590908	950000	3540908	242092
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**992717000**	**788699668**	**37260000**	**825959668**	**166757332**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	2500000	0	0	0	2500000
8	यात्रा व्यय (11–01)	2530000	1264950	0	1264950	1265050
9	कार्यालय व्यय (13–01)	2630000	1314900	186000	1500900	1129100
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (13–02)	3930000	1964250	0	1964250	1965750
11	दूरभाष (13–03)	780000	388800	7120	395920	384080
12	विद्युत प्रभार (13–04)	32520000	16254000	7340120	23594120	8925880
13	विधि प्रभार (13–05)	1000	0	0	0	1000
14	वर्दी / पोषाक (13–06)	997000	488430	43910	532340	464660
15	किराया महसूल एवं कर (14–01)	1810000	904500	656000	1560500	249500
16	सामग्री एवं पूर्तियॉ (21–01)	14695000	8346700	500000	8846700	5848300
17	दवा भंडार (21–02)	144000000	71992800	5000000	76992800	67007200
18	आहार / पथ्य (21–03)	60000000	29997000	700000	30697000	29303000
19	लधु कार्य (27–01)	1000	0	0	0	1000
20	व्यवसायीक एवं विशेष सेवाऍ (28–01)	212832000	108812640	1300000	110112640	102719360
21	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	60000000	29997000	2500000	32497000	27503000
	कुल योगः–	**1531943000**	**1060425638**	**55493150**	**1115918788**	**416024212**

30/7/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

35(7)9

30-7-12